क्रम-संख्या— 763 (क)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०—41

( लाइसेन्सशुदा पोस्ट विदाउट पेमेन्ट )

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

**भाग—1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, शनिवार, 27 अप्रैल, 1985**

वैशाख 7, 1907 शक सम्वत्

**उत्तर प्रदेश सरकार**

विधायी अनुभाग—1

संख्या 734/सत्रह-वि0-1-1 (क)-9-1985

लखनऊ, 27 अप्रैल, 1985

**अधिसूचना**

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोकसेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 26 अप्रैल, 1985 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1985)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) यह 28 जनवरी, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

**उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 1 का संशोधन।**

2--उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 में, उपधारा (4) में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(च) लोक आयुक्त के कर्मचारिवर्ग के सदस्य।"

**नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना**

3--मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

**अधिकरण द्वारा निर्देश की सुनवाई**

"4-क-(1) दावे के किसी निर्देश की जिसमें सेवा से पदच्युति या हटाये जाने या पंक्तिच्युत किये जाने के किसी आदेश की विधिमान्यता अन्तर्ग्रस्त हो, सुनवाई और उसका अन्तिम रूप से विनिश्चय अधिकरण के दोनों सदस्यों द्वारा किया जायगा :

परन्तु दोनों सदस्यों में से किसी भी सदस्य द्वारा ऐसे आदेश से जिसमें मामले का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया हो, भिन्न कोई आदेश पारित किया जा सकता है, साक्ष्य लिया जा सकता है और कार्यवाहियों (मामले के अन्तिम निस्तारण के लिये मौखिक बहस की सुनवाई को छोड़कर) का संचालन किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दावे से भिन्न दावे के किसी निर्देश की सुनवाई और उसका अन्तिम रूप से विनिश्चय अधिकरण के एक सदस्य द्वारा किया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अधिकरण के किसी एक सदस्य द्वारा किया कोई कार्य अधिकरण द्वारा किया गया समझा जायगा"।

**धारा 5 का संशोधन**

4--मूल अधिनियम की धारा 5 में,--

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:--

"(ख) धारा 4 के अधीन किसी निर्देश पर परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे मानो निर्देश सिविल न्यायालय में दाखिल किया गया कोई वाद हो किन्तु--

(1) उक्त अधिनियम की अनुसूची में विहित परिसीमा-काल के होते हुए भी, ऐसे निर्देश के लिये परिसीमा-काल एक वर्ष होगा;

(2) परिसीमा-काल की संगणना करने में, उस दिनांक से जब लोक-सेवक अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार कोई अभ्यावेदन करता है या कोई अपील, पुनरीक्षण या कोई अन्य याचिका (जो राज्यपाल को दिया गया विनिवेदन न हो) प्रस्तुत करता है, प्रारम्भ होने वाली, और उस दिनांक को जब ऐसे लोक-सेवक को, यथास्थिति, ऐसे अभ्यावेदन, अपील, पुनरीक्षण या याचिका पर दिये गये अंतिम आदेश की जानकारी हो, समाप्त होने वाली अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायगा :

परन्तु कोई निर्देश जिसके लिये परिसीमा अधिनियम, 1963 द्वारा विहित परिसीमा-काल एक वर्ष से अधिक हो, धारा 4 के अधीन निर्देश उस अधिनियम द्वारा विहित अवधि के भीतर या उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ से ठीक एक वर्ष के भीतर, इसमें जो भी अवधि पहले समाप्त होती हो, किया जा सकता है :

परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथा प्रतिस्थापित इस खण्ड की किसी बात का कोई प्रभाव किसी ऐसे निर्देश पर नहीं पड़ेगा जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किया गया और विचाराधीन हो।"

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "मौखिक बहस" के स्थान पर शब्द "मौखिक या लिखित बहस" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(7) जहां अधिकरण किसी पक्षकार के पक्ष में उपधारा (6) में निर्दिष्ट घोषणा से भिन्न कोई आदेश दे और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे आदेश के दिनांक से तीन मास की अवधि तक न किया जाय, वहां अधिकरण उस पक्षकार के, जिसके पक्ष में आदेश हो, आवेदन-पत्र पर, यथास्थिति, अपने द्वारा अधिनिर्णीत धनराशि की वसूली के लिये या अनुदत्त किसी अन्य अनुतोष के लिये प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है। जिस पक्षकार

के पक्ष में ऐसा प्रमाण-पत्र जारी किया जाय, वह अधिकरण के आदेश का निष्पादन करने के लिये उत्तर प्रदेश में स्थित आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को जिसको अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर वह कर्मचारी ऐसे सेवायोजक के पास, यथास्थिति, तत्समय कार्य कर रहा हो या अंतिम बार कार्य किया हो, आवेदन कर सकता है और तदुपरान्त ऐसा न्यायालय प्रमाण-पत्र का उसी रीति से और उसी प्रक्रिया के अनुसार निष्पादन करेगा या करायेगा मानो वह किसी वाद में उसके द्वारा समान अनुतोष के लिये पारित डिक्री हो।"

धारा 6 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में, शब्द "खण्ड (क) से (ङ)" के स्थान पर शब्द "खण्ड (क) से (च)" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, सन् 1985

निरसन और अपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,
बी0 एल0 लूम्बा,
सचिव।

---

No. 1734(2)/XVII-V—1—2(KA)-9-1985

*Dated Lucknow, April 27, 1985*

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Sewa (Adhikaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 26, 1985.

## THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (TRIBUNALS) (AMENDMENT) ACT, 1985

(U. P. Act no. 13 of 1985)

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) Act, 1976*

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 1985.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 28, 1985.

Amendment of section 1 of U.P. Act 17 of 1976.

2. In section 1 of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (4), *after* clause (*e*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*f*) a member of the staff of the Lok Ayukta."

Insertion of new section 4-A.

3. *After* section 4 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"4-A. (1) A reference of claim wherein the validity of any order of dismissal or removal from service or reduction in rank is involved, shall be heard and finally decided by both members of the Tribunal :

Hearing of Reference in Tribunal.

Provided that any order other than an order finally disposing of the case, may be passed, evidence may be received and proceeding (except hearing of oral argument for final disposal of the case) may be conducted, by either of the members.

(2) A reference of claim other than that referred to in sub-section (1) may be heard and finally decided by a single member of the Tribunal.

(3) Anything done by a single member of the Tribunal under sub-section (1) or sub-section (2) shall be deemed to have been done by the Tribunal.

**Amendment of section 5.**

4. In section 5 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (1), *for* clause (*b*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*b*) The provisions of the Limitation Act, 1963 shall *mutatis mutandis* apply to reference under section 4 as if a reference were a suit filed in civil court so, however, that :— **Act 36 of 1963.**

(i) notwithstanding the period of limitation prescribed in the Schedule to the said Act, the period of limitation for such reference shall be one year ;

(ii) in computing the period of limitation the period beginning with the date on which the public servant makes a representation or prefers an appeal, revision or any other petition (not being a memorial to the Governor), in accordance with the rules or orders regulating his conditions of service, and ending with the date on which such public servant has knowledge of the final order passed on such representation, appeal, revision or petition, as the case may be, shall be excluded :

Provided that any reference for which the period of limitation prescribed by the Limitation Act, 1963 is more than one year, a reference under section 4 may be made within the period prescribed by that Act, or within one year next after the commencement of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 1985 whichever period expires earlier :

Provided further that nothing in this clause as *substituted* by the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 1985, shall affect any reference made before and pending at the commencement of the said Act."

(*b*) in sub-section (2), *for* the words "oral arguments" the words "oral or written arguments" shall be *substituted* ;

(*c*) *for* sub-section (7), the following sub-section shall be *substituted* namely—

"(7) Where the Tribunal makes an order other than a declaration referred to in sub-section (6), in favour of any party and such order remains uncomplied with for a period of three months from the date of such order, the Tribunal may, on the application of the party in whose favour the order stands, issue a certificate for recovery of the amount awarded or, as the case may be, for any other relief granted by the Tribunal. Any party, in whose favour such certificate is issued, may apply to the principal Civil Court of original jurisdiction in Uttar Pradesh within the local limits of whose jurisdiction the employee is for the time being serving, or, as the case may be, last served such employer, for execution of the order of the Tribunal, and such Court shall thereupon execute the certificate or cause the same to be executed in the same manner and by the same procedure as if it were a decree for like relief passed by itself in a suit."

**Amendment of section 6.**

5. In sub-section (1) of section 6, *for* the words "clauses (*a*) to (*e*)" the words "clauses (*a*) to (*f*)" shall be *substituted*.

**Repeal and savings.**

6. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 1985 is hereby repealed. **U.P. Ordinance no. 3 of 1985.**

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By order,
B. L. LOOMBA,
*Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 28 सा० (विधा०)—(416)—1985—750 (मेक०)।